21/10/19 पत्रावली पेश हुई। गैरसायलान को बार-बार आवाज लगाने के बावजूद न्यायालय हाजिर नहीं आने पर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नकल से मय व दाखिल दफ्तर हो।